प्रेस नोट 06.10.2021

30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 05.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा भैरोपुर खुर्मा के पास से सदन पुत्र स्व0 नाथा निवासी अमिला थाना घोसी के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा भेडवरा तिराहा के पास से पंजाबी राजभर पुत्र रामभवन राजभर निवासी लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की अशंका में 05 व्यक्ति तथा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 06.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रामभवन निवासी ताजपुर थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा विनोद यादव निवासी जमालपुर बुलन्द थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा लालमुनी यादव निवासी अब्बुपुर थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा अरविन्द प्रजापति निवासी परदहा किन्नूपुर, सन्नी उर्फ दिनेश राजभर निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना **दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी** अभियुक्ता आबिदा खातुन, फरीदा खातुन पुत्रीगण नजीर अहमद निवासिनीगण औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।